

झारखण्ड सरकार
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

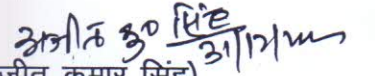
~~~~~

अधिसूचना

राँची, दिनांक— 31/ 12 /2025 ई०।

13/पी<sub>2</sub>-103/2019— 5106/सी0, श्री अखिलेश बी० वारियर, भा०पु०से०(2012) संप्रति केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति को भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) नियमावली, 2016 के नियम-8(5) तथा 8(6) के अन्तर्गत भारतीय पुलिस सेवा के पुलिस उप-महानिरीक्षक वेतनमान—Level-13A of Pay Matrix की कोटि में इनसे कनीय श्री अंजनी कुमार झा, भा०पु०से०(2012) को विभागीय अधिसूचना सं०-5090, दिनांक-31.12.2025 द्वारा दी गई प्रोन्नति के फलस्वरूप दिनांक-01.01.2026 के प्रभाव से प्रोफार्मा प्रोन्नति प्रदान की जाती है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

  
(अजीत कुमार सिंह)

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक-13/पी<sub>2</sub>-103/2019— 5106/

राँची, दिनांक— 31/ 12/2025 ई०।

प्रतिलिपि:—महालेखाकार, झारखण्ड, पो०-डोरण्डा, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
सरकार के अवर सचिव।

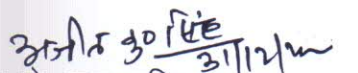
ज्ञापांक-13/पी<sub>2</sub>-103/2019— 5106/

राँची, दिनांक— 31/ 12/2025 ई०।

प्रतिलिपि:— नोडल पदाधिकारी, ई-गजट, गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड, राँची/अवर सचिव, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली/माननीय राज्यपाल के अपर मुख्य सचिव/माननीय मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव/संयुक्त सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग/महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक, झारखण्ड, राँची/महानिदेशक-सह-महासमादेष्टा, गृह रक्षा वाहिनी एवं अग्निशमन सेवाएँ, झारखण्ड, राँची/महानिदेशक, रेल, राँची/महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, झारखण्ड, राँची/सभी अपर पुलिस महानिदेशक, झारखण्ड, राँची/सभी पुलिस महानिरीक्षक/सभी क्षेत्रीय पुलिस उप-महानिरीक्षक/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी उपायुक्त/सभी वरीय पुलिस अधीक्षक/सभी पुलिस अधीक्षक/सभी समादेष्टा, झारखण्ड/संबंधित पदधिकारी/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/नोडल पदाधिकारी, विभागीय पोर्टल/अवर सचिव, प्रभारी प्रशाखा-14, गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. प्रोन्नत सभी पदाधिकारी एफ०आर० 22(1)(ए)(2) के निम्नांकित प्रावधान के तहत आवश्यकतानुसार विकल्प का प्रयोग कर सकते हैं :-

"Under FR 22 (1) (a) (2) also there is a provision that on appointment on réguler basis to such new post, other than to an ex-cadre post on députation, the Government servant shall have the option, to be excersied within one month from the date of such appointment, for fixation of his pay in the new post with effect from the date of increment in the old post."

  
सरकार के अवर सचिव।